

to 1981. He served as a Director of the Malayala Manorama Company Limited and Kerala Handloom Development Corporation. He was also Vice-President of (i) Calicut First Class Magistrate Court from 1951 to 1953 (ii) All Kerala Sales Tax Central Committee from 1963 to 1964 and (iii) Malabar Chamber of Commerce.

Shri Koya had a long and chequered legislative career. He represented the State of Kerala in this House from April 1967 to April 1973, April 1974 to April 1980, April 1980 to April 1986, April 1986 to April 1992 and April 1992 to April 1998, for over thirty years.

A sober, mild-mannered, soft-spoken and kind-hearted, Shri Koya endeared himself to one and all. He was a force of political movement and change as also an architect of various democratic fronts in the State of Kerala and worked in close association of E.M.S. Namboodiripad, Qaidi Millat Ismail Sahib, Seethy Sahab and Bafaky Thangal.

In the passing away of Shri B.V. Abdulla Koya, the country has lost a veteran parliamentarian and a distinguished social worker.

We deeply mourn the passing away of Shri B.V. Abdulla Koya.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon. Member's then stood in silence for one minute)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फलों तथा सब्जियों के नुकसान के संबंध में  
आकलन

\*421. श्री नागमणि:†

चौधरी हरमोहन सिंह भादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में फलों तथा सब्जियों के प्रतिवर्ष होने वाले नुकसान का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यवार कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल):

(क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फल और सब्जियों को होने वाले नुकसान का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की कमी और उत्पाद के खराब हो जाने के कारण गुणवत्ता और मूल्य में होने वाली कमी की मात्रा कुछ फलों और सब्जियों के लगभग 25% से 30% तक होती है।

श्री नागमणि: सभापति महोदय, सरकार ने बड़ी शान के साथ जवाब दिया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा फल एवं सब्जियों में होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा फल एवं सब्जियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसी कारण से आज फल एवं सब्जियों की कीमत काफी तेजी से बढ़ रही है। मैं सरकार ने जानना चाहता हूँ कि इस देश में फल एवं सब्जियों के उत्पादकों के लाभ-हानि का पता लगाने की क्या कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? अगर सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है तो क्या वह सर्वेक्षण करायेंगी?

श्री सोमपाल: सभापति महोदय, यह बात तो सही है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा कोई विधिवत सर्वेक्षण इस प्रकार फलों और सब्जियों को होने वाली क्षति के संबंध में नहीं कराया गया है। परन्तु यह बात सही नहीं है कि कोई सर्वेक्षण या कोई अध्ययन नहीं हुआ है। 1981 में योजना आयोग ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक

†सभा में यह प्रश्न श्री नागमणि द्वारा पूछा गया।

4334/RS-18

डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और उनके अनुमान यह थे कि कुछ सब्जियों और फलों में तो 40 प्रतिशत तक इस प्रकार की क्षति होती है और 25 से 30 प्रतिशत औसत है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी इस प्रकार के अनुमान लगाये हैं और उनके आंकड़े भी लगभग इसी तक बैठते हैं। यह बात सही है कि विधिवत सर्वेक्षण इसका किया जाना चाहिए।

**श्री नागमणि:** सभापति महोदय, जैसा कि क से घ तक हमारे क्वेश्चन्स हैं, उनका गोल-मटोल जवाब दिया गया है। हम तो मंत्री जी से सिर्फ एक ही बात जानना चाहते हैं कि अगर इसका सर्वेक्षण कराया होता तो टमाटर जो 50 रुपए प्रति किलो हो गया है यदि सरकार इसका कोई उपाय करती तो टमाटर और फलों की जितनी कीमतें बढ़ी हैं क्या ये बढ़ती?

**श्री सोमपाल:** सभापति महोदय, यह सही बात है कि खाद्य प्रसंस्करण की समुचित व्यवस्था और सब्जियों व फलों के भंडारण और आधारभूत ढांचे के अभाव में इस प्रकार का अव्यय और वेस्टेज होता है। परन्तु जहां तक टमाटरों के दाम का सवाल है, यह मैदानी क्षेत्रों में टमाटर उगाने का मौसम नहीं है। प्रायः भारत में इस मौसम में टमाटर खाने का रिवाज भी नहीं था। स्वास्थ्य के लिए भी यह कोई लाभकारी चीज नहीं है। ...**(व्यवधान)**... मैं एक वैज्ञानिक तथ्य बताते जा रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... आयुर्वेद के अनुसार यदि इस मौसम में टमाटर खाया जाता है तो पथरी जैसी भयानक बीमारी होने का भय रहता है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री जीवन राय:** बंगाल का जीवन स्तर ...**(व्यवधान)**...

**श्री सोमपाल:** सभापति महोदय, साम्यवादियों को तो कृषि का कुछ पता ही नहीं है और किसी को हो या न हो। इन्होंने तो रूस जैसे देश का भट्टा बैठा दिया, यहाँ क्या करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आजकल टमाटर का जो दाम बढ़ा है वह केवल इसलिए बढ़ा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊँचाई पर और बहुत कीमत लगाकर यह पैदा किया जाता है। पिछले महीने 16 तारीख को जब मैं शिमला गया था तो उस समय 32—35 रुपए मंडी में किसानों को उसका दाम मिल रहा था तो मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई। जो लोग इस विलासिता को दिल्ली में एफोर्ड कर सकते हैं उनके खाना चाहिए। इस समय आम आदमी के लिए टमाटर खाना उपयोगी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री नीलोत्पल बसु:** क्या खाना चाहिए और कौन सी चीज उपयोगी है? ...**(व्यवधान)**...

**श्री जीवन राय:** क्या मिलता है सस्ते में? ...**(व्यवधान)**...

**चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारा प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ है। प्रश्न में हमने कहा है कि सारे देश में हमारे हर प्रदेश वाइज कितना-कितना नुकसान फल और सब्जियों का हो रहा है? इन्होंने सामूहिक उत्तर दिया है कि 25 और 30 फीसदी नुकसान होता है। यदि उस नुकसान का कोई आधार है तो उस आधार की जांच के बारे में बताएं और हर साल इन फसलों से कितनी कीमत का नुकसान होता है यह भी नहीं बताया गया है। आगे इन फसलों का नुकसान रोकने के लिए क्या कोई योजना है, यह मंत्री जी बताने का कष्ट करें?

**श्री सोमपाल:** सभापति महोदय, प्रदेशवार ब्यौर देना तो संभव नहीं है क्योंकि इस प्रकार का ब्यौर उपलब्ध नहीं है और यदि माननीय सदस्य की रुचि हो तो प्रत्येक मद का फल और सब्जियों का ब्यौर मेरे पास अवश्य है। यदि हम केले को लें तो 12 से 14 प्रतिशत, आम 17 से 37 प्रतिशत, संतरा 8 से 31 प्रतिशत, अमरुद 3 से 15 प्रतिशत, अनानास 5 से 10 प्रतिशत, सेब 10 से 25 प्रतिशत और अंगूर 23 से 30 प्रतिशत है। जहां तक इनके उपयोग का सवाल है सब्जियों की सूची भी चाहें तो मैं पढ़ सकता हूँ। इसका अध्ययन उपलब्ध है।

**श्री नागमणि:** आपने समझा होगा कि सब्जियां खाना ठीक है।

**श्री सोमपाल:** सब्जियों में भी सात से लेकर तीस प्रतिशत तक है। पूरी सूची मेरे पास उपलब्ध है, ये अध्ययन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और दूसरे वैज्ञानिक निदेशालयों के। जहां तक रख-रखाव और भंडारण का प्रश्न है इसमें कोई विवश नहीं हो सकता, इसमें व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारा कृषि विभाग प्रदेशों के सारे कृषि और बागवानी विभाग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और ये सारी संस्थाएं, नाबार्ड और बैंक, इनकी इस प्रकार की सुविधाओं की रचना और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देती हैं। इस संबंध में प्रशिक्षण और शिक्षण भी किसानों से लेकर व्यापारियों और प्रसंस्करण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है और उसके लिए

काफी प्रोत्साहन की योजनायें भी हमारे पास हैं जिनका विवरण अगर सदस्य चाहें और आप अनुमति दें तो मैं अभी भी दे सकता हूँ।

**श्री सूर्यभान पाटील बहादुर:** माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र में महसूल के तीन प्रमुख विभाग हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा। वेस्टर्न महाराष्ट्र के 10—12 जिलों में अंगूर का उत्पादन होता है और बहुत अच्छा अंगूर वहां का काश्तकार पैदा करता है। लेकिन प्रोसेसिंग के अभाव में और अच्छे फल या अंगूर परदेश में भेजने के लिए जो कुछ सुविधा चाहिए, उसके लिए बेयर हाउसिंग या कोल्ड स्टोरेज की सुविधा चाहिए और एक्सपोर्ट की सुविधा चाहिए। इसके अभाव में हजारों एकड़ में जो अंगूर का उत्पादन होता है उसका बहुत नुकसान होता है। यहां भी बताया गया है कि 25 से 30 प्रतिशत का नुकसान होता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि महाराष्ट्र में अंगूर का जो नुकसान होता है, सुविधाओं के अभाव में वह इससे ज्यादा होता है। मैं प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार महाराष्ट्र को इस संबंध में कौन-कौन सा सहायता करने जा रही है?

**श्री सोमपाल:** सभापति महोदय, अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र ने आशातीत प्रगति की है और इसका मुख्य श्रेय इस बात को जाता है कि यदि अंगूर का प्रसंस्करण, उसका भंडारण, उसकी ऊष्मा को, जिसको प्री-कूलिंग कहते हैं, बाहर भेजने से पहले निकालने की जो प्रक्रिया है उस सब में भी महाराष्ट्र ने बहुत प्रगति की है। जिन चार संस्थाओं का मैंने नाम लिया है, केन्द्रीय सरकार के कृषि विभाग, बागवानी विभाग, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और नाफेड, ये चारों संस्थाएँ न केवल ऋण देती हैं बल्कि सहायता की राशि तथा ग्रांट भी देती हैं। महाराष्ट्र में कूलिंग चेम्बर्स यानी शीत भंडारण बनाने के लिए प्रसंस्करण की जो चलिता व्यवस्था है, प्रीज वैन, जो शीत वाहन होते हैं उनकी, इसके ट्रीटमेंट की और उनके निर्यात की देश में सबसे अच्छी व्यवस्था है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और एन-सी-डी-सी० से जितनी भी सहायता, ऋण और ग्रांट दी जाती है वह महाराष्ट्र में गई है। रिकार्ड है और उसके लिए जो भी उनकी तरफ से मांग आती है, जब भी उसको फिजिबल माना जाता है, किसी भी योजना को यह संस्थाएँ ऋण और सहायता देने में पीछे नहीं रहतीं।

**सरदार बलबिन्दर सिंह भुंडर:** चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो देश में कभी आलू की कमी हो जाती है, कभी प्याज की कमी हो जाती है इसका कारण यह है कि स्टेट्स में सही इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे ऑफ पीरियड में सब्जियों की

कमी को पूरा किया जाए। जो मैं पूछना चाहता हूँ वह यह है कि पिछले साल पंजाब में आलू फेंका गया और इस दफा आलू-प्याज की कीमत मार्केट में इतनी ज्यादा है कि आम गरीब आदमी इनको ले नहीं सकता। इसलिए आगे यह नुकसान न हो और जो चीज जरूरी है वह गरीब आदमी को मिले, इसके लिए उन स्टेट्स में जहां सब्जियाँ ज्यादा होती हैं, जैसे पंजाब में सबसे ज्यादा आलू होते हैं, वहां सूबे की सरकार को यहां से, सेंटर से ऋण देकर वहां बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने पर विचार करेगी ताकि आगे के लिए लासेज के कारण कमी पैदा न हो?

**श्री सोमपाल:** सभापति जी, पंजाब से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह निश्चितरूप से चिन्ताजनक है। मैंने स्वयं देखा है कि पंजाब, सारे राष्ट्र ने देखा है बल्कि पूछे विश्व ने देखा है कि पंजाब का किसान जिस चीज को हाथ में लेता है वह उसका अभाव नहीं रहने देता। लेकिन कठिनाई यह रही है कि हमने पिछले पांच दशकों में अभाव से जूझने की क्षमता की रचना तो बहुत की है परन्तु जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो उससे निपटने की कोई समेकित योजना नहीं बनाई है। पंजाब के विषय में मैं स्वयं अवगत हूँ, अंगूर और किन्तू और इसी तरफ से फलों के उत्पादन के बहुत सारे फलोद्यान वहां लगे लेकिन पिछले चार-पांच वर्षों में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में उनको उखाड़ना पड़ा। बीस-बीस, तीस-तीस वर्षों से पले जो पौधे थे उन्हें उखाड़ना पड़ा। इससे किसान के मन में क्या बीती होगी इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। जहां तक इस बात का प्रश्न है यह बात सही है कि वहां पर प्रसंस्करण और इस तरह के ढांचे की जितनी सुविधा होनी चाहिए उतनी नहीं है। परन्तु कठिनाई यह है कि जिन चारों संस्थाओं का मैंने नाम लिया, पंजाब की तरफ से उनसे सहायता लेने के लिए कभी किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। एक आध प्रस्ताव आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपने प्रदेश की सरकार को, वहां के उद्यमियों को और किसानों को इसके लिए प्रवृत्त करें। जो भी सहायता यहां से दी जा सकती है, उसको केन्द्र सरकार निश्चित रूप से मुहैया करेगी।

**DR. MANMOHAN SINGH:** Mr. Chairman, Sir, in order to promote the growth of the food processing industry, the Congress Government had exempted a large number of food products from the imposition of excise duty. But, the present Government has reversed that process. A duty of 8 per cent has been

levied on a large number of food articles. Is the hon. Minister aware of the harmful effects of this excise levy on the growth of the food processing industry? If so, what does he propose to do in this matter?

**SHRI SOMPAL:** Sir, though the first part of the question belongs to the domain of the Finance Ministry ....(Interruptions)... Sir, I am replying to the latter part of the question too. But, there is no evidence that it has harmed the food processing industry. Eight per cent is not a very big excise ....(Interruptions)...

**SHRI JANARDHANA POOJARY:** Sir, a Minister cannot answer like this. It is the Government of India. Members are putting serious questions ....(Interruptions)...

**श्रीमती चन्द्रकला पांडेय:** सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी। सब से पहले तो आज कल कृषि मंत्रालय से जो भी उत्तर आते हैं, प्रायः इसी तरह के गोलमोल होते हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उत्तर शायद हो छिपा मूकता के भीतर, हम तो प्रश्नों का जाल सजाने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिये। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैव विविधता और प्रकृति के इस देश में अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग प्रदेशों में कभी किसी प्रदेश में फसल सरप्लस हो जाती है और वही फसल दूसरे प्रदेश में नहीं होती है। क्या आप ऐसा सर्वेक्षण तत्काल कराएंगे? 1996 में बंगाल में आलू की फसल बहुत अधिक हुई थी। हम लोगों ने केन्द्र के पास प्रस्ताव भी भेजा था। उसके बावजूद भी फसल बरबाद हो गई थी। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण करवा कर उसी समय जहाँ सरप्लस हुई है वहाँ से जिन प्रदेशों में कमी है, वहाँ भेज दी जाएगी जिससे महंगाई कम हो और सब्जियों की सुखाने के बाद उन्हें भिज्रव कर के बाजार में जब महंगाई अधिक बढ़े तो भेजने की कोई व्यवस्था करेंगे? धन्यवाद।

**श्री सोमपाल:** सभापति महोदय, सब्जियों और फलों का कभी उत्पादन कम और कभी अधिक होना बहुत से कारकों के ऊपर निर्भर करता है। कभी मौसम खराब होता है, कभी बीमारी लग जाती है। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जैसे आम वैकल्पिक वर्षों में अधिक और न्यून उत्पादन करते हैं। एक वर्ष में कम उत्पादन होता है और

दूसरे वर्ष में अधिक होता है। जहाँ तक उनके प्रसंस्करण या सुखा कर बेचने का सवाल है, खाद्य प्रसंस्करण की सारी प्रक्रिया जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, यह उनका अभिन्न अंग है, उसमें इसको समाहित किया गया है और सरकार इसके प्रति सचेत है। जहाँ कभी फल और सब्जियां ज्यादा होती हैं, दूसरे प्रदेशों में भेजने के लिए कभी कभी नाफेड जैसी संस्थाओं के माध्यम से मार्किट इंटरवेंशन स्कीम के द्वारा उसकी देख-रेख, रख-रखाव, दूसरे प्रदेशों में भेजना और उसकी कीमत को समर्थन देने का काम यह संस्थाएं करती हैं।

**SHRI J. CHITHARANJAN:** Sir, in his reply given to the supplementary, the Minister has himself admitted that the country is incurring a very heavy loss due to perishing of vegetables and fruits. But, it seems that the Government has not yet prepared a comprehensive plan to find a solution to this problem within a reasonable time-limit. I would like to know from the hon. Minister whether the Government will prepare a plan to find a solution to this problem within a reasonable time-limit.

**SHRI SOM PAL:** Sir, the hon. Member is right when he says that the colossal wastage should be minimised. The Government is aware of the phenomenon. All these schemes are designed to tackle this and this is a continuous process.

यह सतत चलने वाली बात है। निरन्तर इसके लिए अनुसंधान भी हो रहा है। इसके लिए सर्वेक्षण भी हो रहा है और इसका ध्यान रखने के लिए, इसके रख-रखाव करके के लिए इस अपव्यय को बचाने के लिए सुविधाओं के निर्माण के लिए ही सारी योजनाएं चलायी जा रही हैं और वे चालू रहेंगी।

**श्री सभापति:** क्वेश्चन नम्बर 422.... (व्यवधान)

**श्री रामदेव भंडारी:** एक मिनट में एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ....(व्यवधान)

**MR. CHAIRMAN:** Question No. 422.

**SHRI J. CHITHARANJAN:** Sir, the hon. Minister has not answered my question.

**MR. CHAIRMAN:** Twentyfive minutes have been spent on the question.

श्री रामदेव भंडारी: पूरे सेशन में मुझे एक भी सप्लीमेंट्री पूछने का मौका नहीं मिला है .... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No. Already 25 minutes have been spent on the question.

Question No. 422. Mr. Vayalar Ravi.

#### Growth of Fisheries Wealth

\*422. SHRI VAYALAR RAVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether large scale fishing by big trawlers has affected the growth of fisheries wealth;

(b) whether it is a fact that growth of fisheries wealth is in negative; and

(c) the steps taken to preserve the fisheries wealth in our oceans?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOM PAL): (a) and (b) A statement is laid on the table of the house.

#### Statement

(a) and (b) The marine fish production in the country has steadily increased from 16.58 lakh tonnes in 1987-88 to 29.67 lakh tonnes in 1996-97. The operation of deep sea trawlers/vessels has helped to increase the marine fish production by harvesting of relatively unexploited resources beyond the territorial waters.

(c) The Government is implementing the following schemes/programmes for the development of marine fishery resources:

(i) Enforcement of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 and rules thereunder to check poaching and unauthorised fishing by foreign fishing vessels in Indian waters.

(ii) Enforcement of Marine Fishing Regulation Acts and rules framed thereunder by the maritime States to regulate fishing operations, conservation measures etc. within their territorial waters.

(iii) Introduction of resource-specific fishing vessels for sustainable exploitation of marine fishery resources.

(iv) Regular survey, assessment and monitoring of marine fishery resources.

(v) Stock enhancement and conservation of resources through deployment of artificial reefs and fish aggregating devices.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, before I ask the supplementary, may I ask you to look at parts (a) and (b) of the question? In fact, the answer given is the logical end to my question. The answer is not to the main question asked. The hon. Minister has answered only to the logical end. Sir, you have to look at it. I want a categorical answer on that point, because there is a report of serious depletion of the whole fishing resources. Anyhow.

Sir, my question is while the deep-sea fishing policy was introduced, the ocean wealth in our area is 3.7 million tonnes and the exploitation went up to 2.9 million tonnes. According to a study made, only 1.6 lakh tonnes are available for commercial exploitation. Therefore, an agitation is going on. In this process the traditional fishermen are suffering. My question also points to the same thing. Foreign vessels, trawlers and collaborations are creating problems of over-exploitation. That is my point.

Sir, with your permission, I will quote only two sentences from the Supreme Court judgment delivered in 1993. It said: "Over the years, while the population of the traditional fishermen has increased by more than 20 to 28 per cent, the average production of each fisherman declined by more than half, which resulted in 98.5 per cent fishermen population descending the poverty-line. While the traditional fishermen, who constitute 89 per cent of the total fishermen,